

प्रेषक,

जी०के० टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक 15 मई, 2008

विषय: वित्तीय वर्ष 2008-09 में दैवी आपदा राहत कार्य हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2008-09 में दैवी आपदा राहत कार्य हेतु अग्रिम रूप से संलग्न सूची के अनुसार रु०-27,10,00,000/- (रुपये सत्ताइस करोड़ दस लाख मात्र) की धनराशि आपके निर्वहन पर रखने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्यय के अनुदान संख्या -51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर- 05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03- राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय -42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि की धनराशि शासनादेश संख्या- जी०आई०-134/1-11-2007-46/97 दिनांक 31 जुलाई, 2007 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/ शासकीय निर्देशों के अधीन किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। यदि राहत वितरण हेतु आवंटित धनराशि कम पड़े तो शेष वांछित धनराशि कोषागार नियम -27 के अन्तर्गत आहरित कर ली जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रभावित व्यक्तियों को देय सहायता प्रत्येक दशा में विलम्बतम 03 दिन के अन्दर वितरित हो जाय। कोषागार नियम -27 से आहरित धनराशि के समायोजन तथा धनावंटन प्रस्ताव शासन को 10 दिन में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाय। अग्रेतर यह सुनिश्चित किया जाय कि कोषागार नियम -27 के अन्तर्गत धनराशि का आहरण एवं वितरण केवल दैवी आपदाओं जैसे -अग्निकांड, आँधी, तूफान, चक्रवात, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने, आकाशीय बिजली अतिवृष्टि, बाढ़, सूखा आदि के फलस्वरूप घटित घटनाओं के लिये ही किया जायेगा। सामान्य दुर्घटनाओं -सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा फसाद, विद्युत आदि के कारण घटित घटनाओं के लिये इस धनराशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय प्रस्तर -3 में सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 जुलाई, 2007 में निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति कोइ मदों में राहत अनुमन्य है तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाय। शासनादेश संख्या-4815/1-10-2007-14(45)/2003, दिनांक 08 दिसम्बर, 2007 के अनुसार दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले रु0 1000/- से कम धनराशि का वितरण बियरर चेक के माध्यम से तथा रु0 1000/- या इससे अधिक की धनराशि का वितरण एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जाय।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल इस वित्तीय वर्ष में दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के निमित्त व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा।

6. राहत धनराशि का वितरण गाँवों में व्यापक प्रचार-प्रसार के बाद पर्यवेक्षीय अधिकारियों एवं स्थानीय जन-प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जायेगा। राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण-पत्र के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्रदान कर इसे अभिलेख में रखा जाय। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय और ग्रामसभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाय।

7. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार विभागों को धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या 1693/1-11-2005-रा0-11 दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते सम्भावित हों तो उन्हें दिनांक 25 मार्च, 2009 तक शासन को अवश्य सूचित करते हुये वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित कर दिया जाय।

9. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड -5 भाग -1 के प्रस्तर -369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या -42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

10. दैवी आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

11. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(जी०के० टण्डन)

राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या : संख्या : 2755 / 1-10-2008-12(71) / 2008 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (ऑडिट प्रथम), उ०प्र० इलाहाबाद।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11/राहत आयुक्त की वेबसाइट के उपयोग हेतु।
8. चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

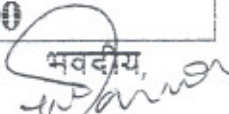
(राज किशोर यादव)

विशेष सचिव

शासनादेश संख्या-2755 / 1-10-2008-12(71) / 2008, दिनांक: 15 मई 2008
का संलग्नक।

क्र०सं०	जनपद का नाम	आवंटित धनराशि
1	आगरा	3000000
2	अलीगढ़	3000000
3	एटा	3000000
4	फिरोजाबाद	3000000
5	हाथरस	3000000
6	मैनपुरी	3000000
7	मथुरा	3000000
8	इलाहाबाद	3000000
9	फतेहपुर	3000000
10	कौशाम्बी	3000000
11	प्रतापगढ़	3000000
12	आजमगढ़	5000000
13	बालिया	5000000
14	मऊ	5000000
15	बरेली	3000000
16	बदायूँ	3000000
17	पीलीभीत	5000000
18	शाहजहाँपुर	3000000
19	बस्ती	5000000
20	सन्तकबीरनगर	5000000
21	सिद्धार्थनगर	5000000
22	बाँदा	5000000
23	चित्रकूट	5000000
24	हमीरपुर	5000000
25	महोबा	5000000
26	बहराइच	5000000
27	बलरामपुर	5000000
28	गोण्डा	5000000
29	श्रावस्ती	5000000
30	अम्बेडकरनगर	3000000
31	बाराबंकी	5000000
32	फैजाबाद	5000000
33	सुल्तानपुर	3000000
34	देवरिया	5000000
35	गोरखपुर	5000000
36	कुशीनगर	5000000

37	महाराजगंज	5000000
38	झाँसी	5000000
39	जालौन	5000000
40	ललितपुर	5000000
41	औरैया	3000000
42	इटावा	3000000
43	फर्रुखाबाद	3000000
44	कानपुर देहात	3000000
45	कानपुर नगर	3000000
46	कन्नौज	3000000
47	हरदोई	3000000
48	लखनऊ	3000000
49	लखीमपुर खीरी	5000000
50	रायबरेली	3000000
51	सीतापुर	5000000
52	उन्नाव	3000000
53	बागपत	3000000
54	बुलन्दशहर	3000000
55	गौतमबुद्धनगर	3000000
56	गाजियाबाद	3000000
57	मेरठ	3000000
58	मिर्जापुर	5000000
59	संतरविदास नगर	3000000
60	सोनमढ	5000000
61	बिजनौर	3000000
62	ज्योतिबाफुलेनगर	5000000
63	मुरादाबाद	3000000
64	रामपुर	3000000
65	मुजफ्फरनगर	3000000
66	सहारनपुर	3000000
67	चन्दौली	3000000
68	गाजीपुर	3000000
69	जौनपुर	3000000
70	वाराणसी	3000000
71	काशीराम नगर	3000000
	योग	271000000

भवदीय,

 (जी० के० टण्डन)
 राहत्र आयुक्त एवं सचिव